(ङ) 1990 में समीक्षा की गई थी जिसके बाद मुआवजे की राशि में वस्तुतः वृद्धि हुई है।

विवरण

जी नहीं। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है:—

दावाकर्ता, जो कि मृतक अथवा घायल का निकट संबंधी अथवा अधिकृत अभिकर्ता हो सकता है, दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष के भीतर मुआवजे के दावे के लिए रेल दावा अधिकरण जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, को रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 के अंतर्गत दावा दायर करना चाहिए। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अधिकरण द्वारा मामले में डिक्री पारित कर दिए जाते ही रेलवे प्रशासन द्वारा दावाकर्ता को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है। बहरहाल, अधिकरण द्वारा मामले के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:—

(i) दावाकर्ताओं की सुविधा के लिए मुख्यालय खंडपीठ के अलावा स्टेशनों पर समय-समय पर सर्किट खंडपीठें भी स्थापित की जाती हैं;

(ii) किसी भी खंडपीठ में सदस्य की कमी के कारण अपेक्षित होने पर एक खंडपीठ के सदस्यों को अन्य खंडपीठों में तैनात किया जाता है।

(iii) दावाकर्ताओं को उनकी सुविधा और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मामले को एक खंडपीठ से अन्य नजदीकी खंडपीठ को हस्तांतरित करने के उनके अनुरोधों को स्वीकार किया जाता है।

मध्य-प्रदेश को कोयले की आपूर्ति करने के लिए रेल डिब्बों का कोटा

6311. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश को कोयले के लिए रेल डिब्बों के कोटे में वृद्धि करने के संबंध में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़): (क) रेलवे ने कोयले के संचालन के लिए कोटे की सभी सीमाएं समाप्त कर दी हैं, मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता अनुसार उद्योगों के लिए कोयले का संचालन प्रत्यायोजित करने के लिए कहा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Employment to land owners for acquisition of land under Konkan Railway Project

6312. **SHRI GUNDAPPA KORWAR:** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to accord preference to persons in employment whose lands have been acquired for Knokan Railway project;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether there is any proposal to set up a separate requirement board for the Corporation?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Konkan Railway Corporation is following the policy of offering employment to one ward of a family whose land has been acquired, provided the acquisition of land has re-resulted in loss of the sole means of livelihood of the family.

(c) No, Sir.

Difficulties in Exports from Madras Port

6313. **SHRI KRISHAN LAL SHARMA:** Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Southern States of the country are experiencing difficulties and delays in exporting their products through Madras port where the cooling time for the consignments is quite long;

(b) if so, the steps being contemplated to reduce the time at Madras and also to upgrade other ports for the purpose; and

(c) the details thereof?